राज्य विरूद्ध मो० याकुब **दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1507/2022**

WitnessNo....03....for.....अभियोजन साक्ष्य.....Deposition takenthe...14.10.2025....dayof...मंगलवार...Witness'sapparentage...47 वर्ष States of affirmation.....शपथ पूर्वक.....my name is...कुलदीप कुमार चतुर्वेदी S/of.....श्री माधव प्रसाद चतुर्वेदी .....occupation.....प्रधान आरक्षक address.....थाना गौरेला जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही छ०ग०

साक्ष्य प्रारंभ समय 11:40 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री संजीव राय ए०डी०पी०ओ० वास्ते अभियोजन–

01. मैं साल 2022 से थाना गौरेला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ हूं ।

02. दिनांक 09.12.2022 को प्रार्थी पूरन सिंह धूर्वे की सूचना पर आरोपी याकूब खान के विरूद्ध अपराध क्रमांक 468/2022, धारा 294, 506, 323 भा०दं०वि० अंतर्गत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया, जो **प्र०पी० 01** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आहत पुरन सिंह को मुलाहिजा हेतु मुलाहिजा फार्म भरकर आरक्षक मोहन श्याम क्रमांक 53 सी०एच०सी० गौरेला भेजा, मुलाहिजा आवेदन **प्र०पी० 03** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

03. विवेचना के दौरान मैंने प्रार्थी के बताये अनुसार घटनास्थल जाकर घटनास्थल का नजरी नक्शा **प्र०पी० 02** तैयार किया, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी पूरन सिंह तथा गवाहन बुदु राम, सावित्री ओट्टी, दीपक जायसवाल का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया । आरोपी के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफतार कर, गिरफतारी पत्रक तैयार किया जो **प्र०पी० 04** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे व ब से ब भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश कौराई अधिवक्ता वास्ते आरोपी–

04. यह कहना सही है कि केस डायरी प्राप्त होने के पश्चात विवेचना की कार्यवाही मेरे द्वारा प्रारंभ की गई । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध की घटना दिनांक 10.12.2022 में थाना में सूचना प्राप्त होने का दिनांक 09.12.2022 को हुआ है । यह

कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मे प्रथम रिपोर्ट दर्ज करते समय आरोपी का नाम, पिता का नाम एवं उसका निवास स्थान का उल्लेख किया जाता है ।यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कालम 07 में आरोपी याकुब खान के पिताजी का नाम का उल्लेख नहीं है ।

05. यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय यदि घटना दिनांक से तीन चार दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है तो, प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी का कारण भी उल्लेख किया जाता है । यह कहना सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम 08 में देरी का कारण का उल्लेख नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि विवेचना के पूर्व मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया था । यह कहना गलत है कि प्रार्थी को मुलाहिजा हेतु मेरे द्वारा कोई मुलाहिजा फार्म नहीं भरा गया था । यह कहना सही है कि मोहन श्याम के द्वारा मुलाहिजा फार्ज प्रपी० 03 भरा गया है, जिसमें मेरा हस्ताक्षर है ।

06. यह कहना सही है कि प्रपी० 02 के नजरी नक्शा में प्रार्थी के अलावा कोई भी स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर नहीं है । यह कहना गलत है कि नजरी नक्शा थाना में बैठकर मेरे द्वारा तैयार किया गया था । यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा साक्षियों का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध न कर अपने मन से लेखबद्ध किया गया है । यह कहना गलत है कि मेरे उच्च अधिकारियों के कहने पर आरोपी के विरुद्ध झूठा विवेचना कर अभियोग पत्र तैयार किया गया है ।

साक्ष्य समाप्त 12:20 बजे

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।

सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्ड्रारोड
रा०जि०गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्ड्रारोड
रा०जि०गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)

राज्य विरूद्ध मो० याकुब दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 1507/2022

WitnessN0... ... 04.....For.....अभियोजन साक्ष्य..... Deposition taken the 14.10.2025...day of. मंगलवार ..Witness'sapparent age... 32.वर्ष State of affirmation.....शपथ पूर्वक .....My name is... सावित्री पेन्द्रो S/of... महेश पेन्द्रो ... .Occupation... जनपद पंचायत गौरेला में पीयून Address..बिसेसरा,थाना–पेन्ड्रा, जिला–गौरेला पेण्ड्रा मरवाही (छ०ग०)

साक्ष्य प्रारंभ समय 12.40 बजे

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री संजीव राय ए०डी०पीओ० वास्ते अभियोजन –

01– साक्षी को न्यायालय में अनुपस्थित आरोपी मो० याकूब का गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित फोटो दिखाकर पूछे जाने पर साक्षी ने आरोपी को पहचानना व्यक्त किया । मैं प्रार्थी पूरन सिंह धुर्वे को जानती हूं ।

02– घटना लगभग दो तीन साल पुरानी है । मैं साल 2016 से जनपद पंचायत गौरेला में संविदा पर पीयून का काम कर रही हूं । घटना के दिन मैं चाय लेने के लिये जनपद पंचायत गौरेला के बाहर गई थी । जनपद पंचायत के बाहर आरोपी व प्रार्थी खडे थे । जब मैं चाय लेकर जनपद में आई तो, मुझे जानकारी मिली कि प्रार्थी एवं आरोपी के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है । इसके अलावा मुझे घटना के बारे में और कोई जानकारी नहीं है । पुलिसवाले मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लिये थे ।

नोटः– इसी स्तर पर अभियोजन की ओर से साक्षी से धारा 154 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अनुसार सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, विचार बाद अभिलेख के अवलोकन के उपरांत अनुमति दी गयी।

03–यह कहना गलत है कि घटना दिनांक को आरोपी मो० याकुब प्रार्थी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दिया और प्रार्थी का गला दबाकर दिवाल में धक्का देकर मारपीट करने लगा । यह कहना गलत है कि मैंने घटना का बीच बचाव किया था । यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपी को बचाने के लिये न्यायालय में झूठी कथन कर रही हूं ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिनेश कौराई वास्ते आरोपी//

04– यह कहना सही है कि अभियुक्त मो० याकूब एवं प्रार्थी पूरन सिं धूर्वे हमेशा जनपद पंचायत आते जाते रहते हैं, इसलिये मैं उन्हें जानता हूं । यह कहना सही है कि घटना दिनांक को जनपद पंचायत कार्यालय से चाय लेने के लये मेन रोड में गयी थी । यह कहना सही है कि जनपद पंचायत में उस बीच क्या–क्या और किसके–किसके मध्य घटना हुई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । यह कहना सही है कि घटना को होते हुए मैं नहीं देखी हूं । यह कहना सही है कि घटना दिनांक को किसके किसके मध्य लड़ाई हुई थी, इसकी जानकारी मुझे नही है। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध नहीं किये थे ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 1.00 बजे

गवाह को पढकर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्ड्रारोड
रा.जि. गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

MAHESH BABU SAHU
Digitally signed by MAHESH BABU SAHU
DN: cn=MAHESH BABU SAHU, ou=DISTRICT COURT, o=HIGH COURT OF CHHATTISGARH BILASPUR, st=CHATTISGARH, c=IN

(महश बाबू साहू)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्ड्रारोड
रा.जि. गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ.ग.)